प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य
फैजाबाद

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक – /एकादशम्/निविदा/दिनांक :फैजाबादः दिसम्बर, ,2016।
विषय –अतिअल्पकालीन निविदा सूचना सं0 –04/अधी0अभि0/2016–17 का प्रकाशन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अतिअल्पकालीन निविदा सूचना सं0 –04/अधी0अभि0/एकादशम्/2016–17 छः प्रतियों में सी0डी0सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया इसे तीन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में एक दिन के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित अंक की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार।
(छः प्रतियों में एवं
एक अदद सी0डी0)

भवदीय,

(मुश्ताक अहमद)
अधीक्षण अभियन्ता

<u>**पत्रांक /तदिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निविदा प्रपत्र के सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (शा0स0) गंगा सिंचाई भवन, तेली बाग लखनऊ।
3. आयुक्त महोदय, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
4. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, लखनऊ को निविदा प्रपत्र के दो सेट एवं एक अदद सी0डी0 सहित।
5. जिलाधिकारी, फैजाबाद।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) विकास भवन, फैजाबाद।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टाण्डा, अम्बेडकरनगर को उनके पत्रांक –सी 222/सिं0ख0टा0/दिनांक 26.12.2016 के संदर्भ में।
8. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद/बाराबंकी, सरयू नहर खण्ड फैजाबाद, सिंचाई खण्ड फैजाबाद।
9. जिला सूचना अधिकारी, फैजाबाद।
10. नोटिस बोर्ड।

संलग्नक –यथोक्त।

(मुश्ताक अहमद)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना संख्या –04/2016–17

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित मुहरबन्द निविदायें वर्गीकृत श्रेणी में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 04.01.2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता, एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य फैजाबाद के कार्यालय में (i) Technical bid एवं (A) Financial bid के रूप में अलग–अलग लिफाफों में आमंत्रित की जाती है, Technical bid दिनांक 04.01.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। Technical bid में क्वालीफाई करने वाले निविदादाताओं का नाम दिनांक 04.01.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी, तत्पश्चात् अपरान्ह 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा Technical bid में क्वालीफाई निविदादाताओं की निविदा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02.01.2017 से 03.01.2017 तक कार्यालय अवधि में सायं 4.00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टाण्डा, अम्बेडकरनगर, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड फैजाबाद एवं अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी के कार्यालय में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा क्रय करने हेतु (1) वैध पंजीकरण (2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-I) (3) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगा तथा उनकी सत्यापित प्रतियाँ भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र, जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो, ही जमा करने के पश्चात् निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, टाण्डा, अम्बेडकर नगर के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	पंजी0 श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
01	पिण्डोरिया राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 19.800 तक क्षतिग्रस्त बैंको का सुदृढ़ीकरण एवं आन्तरिक सेक्शन में मिट्टी का कार्य एवं किमी0 7.161 व किमी0 14.155 पर पुलों का निर्माण कार्य	बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार	64.50	1.30	06 माह	300.00 +वैट +स्टेशनरी	'ए' एवं उच्च
02	अमदही माइनर के किमी0 4.200, किमी0 5.300 एवं बन्दीपुर राजवाहा के किमी0 1.450 तथा अहिरौला रावजाहा के किमी0 1.460, किमी0 7.700, किमी0 7.800 व किमी0 9.150 पर पुलों का निर्माण कार्य	– तदैव –	62.50	1.26	06 माह	300.00 +वैट +स्टेशनरी	'ए' एवं उच्च

Technical Bid हेतु विशेष शर्तें :–

1. निविदा डालने हेतु निविदादाता को पूर्व में नहर पर पक्के कार्यो को संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने का सक्षम स्तर से प्राप्त प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. पिछले 03 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर कार्य की लागत से कम से कम दोगुने धनराशि या उससे अधिक का विवरण साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. पिछले 03 वित्तीय वर्षों का इन्कम टैक्स रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

<u>प्रत्येक निविदादाता को :–</u>

1. रू0 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय वैट, लेबर सेस, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की अवशेष सिक्योरिटी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ0डी0आर0, राष्ट्रीय बचत पत्रों अथवा एक वर्षीय डाकघर सावधि के माध्यम से ही जमा करना अनिवार्य होगा।
2. मात्र उन्हीं प्रतिनिधियों को निविदा पत्र दिये जायेंगे, जो ठेकेदार द्वारा रू0 100.00 के स्टैम्प पर शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिनिधि होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। शपथ पत्र नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
3. यह निविदा सूचना सिंचाई विभाग की वेबसाईट http://irrigation.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वेबसाईट http://irrigation.up.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती हैं, किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम राष्ट्रीय बैंक निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ IDT-I, IDT-2, IDT-3 व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट से ड्राईंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में वे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राईंग इत्यादि प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में बिक्री प्रपत्र पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र पर यदि कोई भिन्नता हो तो इन कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।
4. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
5. राज्य बार कौसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिये जायेगा।
6. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।
7. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम् बोली की स्थिति में उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
8. यदि संज्ञान में आने पर की कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो तो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
9. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील निविदा को किसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराकर (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त कराई जायेगी, जो प्राप्त निविदाओं के तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित उपखण्डीय /खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बॉक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक की प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

10. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदा दाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध कराई है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदा दाता द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी।
11. ठेकेदारों से अनुरोध है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें।
12. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्व–घोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
13. निविदा में अंकित कार्य की मात्रा घटाई–बढ़ाई जा सकती है।
14. शासनादेश सं0–622–23–12–2012–2ऑडिट/08 टी0सी0/दि0 08.06.2012 के अनुसार कार्यों को विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा एक प्रतिशत् से 10 प्रतिशत् तक दर कम होने पर 0.5 प्रतिशत् प्रति एक प्रतिशत् कमी पर तथा 10 प्रतिशत् से अधिक दरों की कमी पर प्रति एक प्रतिशत् की कमी पर एक प्रतिशत् अतिरिक्त परफार्मेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
15. न्यूनतम दर की निविदा दाता द्वारा अनुबन्ध हेतु समस्त प्रपत्र व प्रतिभूति धनराशि निविदा स्वीकार किये जाने के तीन दिवस के अन्दर दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वयं निरस्त मान ली जायेगी एवं कार्य किसी अन्य निविदादाता को आवंटित कर दिया जायेगा।

<u>Additional condition to be made part of the General Condition of Contract :-</u>

1- If any person whosever is found actively associated with Mafia and unsocial elements or engaged in organized crime or is a Mafia is disqualified from bidding.
2- Even if it comes to knowledge after award of a contract that the contractor is associated with Mafia and unsocial elements or engaged in organized crime or is a Mafia the contract will be cancelled after serving a show cause notice and if the contractor is found repeating the same, then the proceeding of black listing him shall also be initiated.
3- If found that the contractor or the bidder has threatened the other bidders or prevented them from bidding the tender/ contract will be cancelled.
4- Any advocate registered in state bar council will not be authorized. If it comes in knowledge that contractor is a state bar council registered advocate, the contract will be cancelled after having been satisfied of this fact.

अधीक्षण अभियन्ता
एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य
फैजाबाद